संख्या- 15/2024/91/30-03-2024

प्रेषक,

वी0के0 सोनकिया,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2024

विषय: विभिन्न जनपदों में स्थापित चेकगेट पर **Weigh in Motion (WIM)** स्थापित कराये जाने तथा ओवरलोडेड वाहनों की **Real Time** अलर्ट/नोटिफिकेशन की सूचना तथा **WIM** का ई-चालान पोर्टल से इंटीग्रेशन किये जाने हेतु आगामी कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05(जी0)स0सु0/2024-16स0सु0/2023, दिनांक 04 जनवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ओवरलोडेड व्यावसायिक वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु खनिज विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित चेकगेट पर **Weigh in Motion (WIM)** स्थापित कराये जाने तथा ओवरलोडेड वाहनों की **Real Time** अलर्ट/नोटिफिकेशन की सूचना तथा **WIM** का ई-चालान पोर्टल से इंटीग्रेशन किये जाने हेतु धनराशि रू0 496.77 लाख के प्रस्ताव पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम समय शेष रह जाने के कारण 40 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 198.71 लाख (रू0 एक करोड़ अठ्ठानवे लाख इकहत्तर हजार मात्र) आगामी कोष प्रबन्धन समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में अग्रिम रूप से आहरित कर भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक अवश्य कर दिया जायेगा।

(4) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

(5) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-491-X-2023-24, दिनांक 12 फरवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(वी0के0 सोनकिया)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2024/91(1)/30-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।